Witness No. -

राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री शहजाद खां। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। करियादी बनवारी उप0।

10 Jon

\$ किए व्यक्त र्रकर समावना प्रकरण \$ अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में का निवेदन किया है। होकर प्रकरण में राजीनामा उपस्थित फरियादी ने

private हुस् cons Infrastructure 下 स्थि मध्यस्थता रखते 西 ा वस्तु को ध्यान में ध्य विवाद का पूर्ण Company अनुसार होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A 1 Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है। उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय पक्षों 妆 नेराकरण

प्रशिक्षित उनके द्वारा किया है। पर उनके चुनाव मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने अवस्थी, जोएमएफसी गोहद का जेएमएफसी मध्यस्थ सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, उभयपक्षों से

हस्ताक्षर मध्यस्थता हु हु दिनांक 03 18 10 मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 25.01.17 तक सूचित करें। अधिवक्ताओं आव मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अतः

प्रतिवेदन 18 प्रकरण आगामी दिनांक 25.01.17 को मीडियेशन कार्यवाही प्रस्तुती हेतु पेश हो। Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत। प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित

प्रस्तुत।

तथा हस्ताक्षर धारा अतर्गत 明 18 फरियादी नेजपाल List Kh 45 आविदन अधिवक्ता श्री शहजाद खां द्वारा आवेदन 长 फरियादी एवं आहत की ओर से एक राजीनामा अधिवक्ता द0प्र0स0 एवं राजीनामा गया। फरियादी की पहचान अभियुक्तगण की पहचान उनके 320-4 码 एवं धारा किया प्रस्तुत

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

दवाब, प्रकट नान भय \$ किसी रामबेटी किया आश्राय राजीनामा समर्थ होकर अपनी एवं आहत लोम-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के ओर से अभियुक्तगण से है। फरियादी संविदा फरियादी की किया

震動 震荡 影

Ider Sheet [Cont

Case No.

of 20.

Signature of parties or

pleaders where necessary

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

किया जाता है। , 323 / 34 तथा 506 मा। मनिय है। पक्षकारों के मधुर संबंध निय है। पक्षकारों के मधुर संबंध मायोगि आपराधिक प्रशासन के रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन वें को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना अभियुक्तगण पर भाठद०वि० की धारा 294, 32 अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप

द्शित होता है।

म प्रमाव 湖湖 के अपराध मात्र के स्वीकार अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 तथा 506 भाग दो भा०द०वि० आवेदन अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय

图 से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसके अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से

HARTON SAFFARE जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख

部部

Judicial Magistrate First C Gohad distt. Bhind (M.P of K. Chupta)